समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

–: आम सूचना :–

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि हँसडीहा से गोड्डा नया बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण हेतु कुल– 32 मौजाओं अंतर्गत जिन घोषित एवार्डियों के द्वारा भू–मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, वैसे सभी घोषित एवार्डियों के भू–मुआवजा से संबंधी कागजातों को प्राप्ति हेतु दिनांक– 04.04.2018 से 06.04.2018 तक (कार्य दिवस में) उक्त परियोजना अंतर्गत पड़ने वाले मौजाओं का संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करने हेतु कैम्प आयोजित किया गया है।

सरकार के निदेश के आलोक में घोषित एवार्डियों को भू–मुआवजा RTGS के माध्यम से किया जा रहा है। जमा करने संबंधी दस्तावेज/कागजात निम्नलिखित हैः– (1) पहचान पत्र (2) वैध रैयती प्रमाण पत्र/मालगुजारी रसीद (3) बैंक का नाम (4) आई0एफ0एस0सी0 कोड नं0/खाता नं0 (5) खाता (पासबुक) की छायाप्रति (सुस्पष्ट पठनीय हो) (6) भुगतान संबंधी भू–मुआवजा नोटिस की प्रति।

घोषित एवार्डी/रैयतों से अनुरोध है कि अपने भू–मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु उपरोक्त कागजातों/दस्तावेजों की मूलप्रति एवं छायाप्रति (एक कॉपी) के साथ कैम्प में उपस्थित होकर अपने भू–मुआवजा से संबंधित कागजातों को जमा करना सुनिश्चित करें ताकि आपके भू–मुआवजा भुगतान करने संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई किया जा सके।

ह0–

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
गोड्डा।

ज्ञापांक :–211–/भूअ0 दिनांक :–23.03.2018

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट/अंचल निरीक्षक, गोड्डा/अंचल निरीक्षक, पोड़ैयाहाट/संबंधित राजस्व कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त तिथि को कैम्प कर उपरोक्त वर्णित कागजात/दस्तावेजों को उचित पहचान पर लेना सुनिश्चित करें ताकि घोषित एवार्डियों को भू–मुआवजा भुगतान RTGS के माध्यम से किया जा सके।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आम सूचना का प्रकाशन यथा शीध्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित आम सूचना का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस आम सूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथा शीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

23/3/18

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
गोड्डा।